

कार्यालय उपयोग हेतु
उत्तीर्ण कक्षा श्रेणी -----
वर्तमान कक्षा श्रेणी -----
संस्थान चालू अथवा बंद -----
आय वर्ग (1)----- (2)----- (3)-----
अभिदाय जमा कराने की स्थिति
(y)----- (N)-----
आवेदन पत्र पूर्ण / अपूर्ण -----
आवेदन निरस्तीकरण का कारण.....

## मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल

83, मालवीय नगर, भोपाल (म.प्र.)

फोन: 0755-2572753, 2762978

EMAIL: [mplabourwelfareactiviy@gmail.com](mailto:mplabourwelfareactiviy@gmail.com)

आवेदक  
छात्र/छात्रा का  
नवीनतम फोटो  
चस्पा करें।

### शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना/शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

आवेदन पत्र 2018-19

अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2018

प्रति,

कल्याण आयुक्त,  
म.प्र.श्रम कल्याण मंडल,  
83, मालवीय नगर, भोपाल

1. आवेदक (छात्र/छात्रा) का नाम : .....
2. पिता/माता नाम श्री/श्रीमति : .....
3. निवास का पूर्ण पता : .....
4. दूरभाष : संस्थान.....निवास.....
5. आवेदक का ई.मेल आई.डी. ....
6. जाति का निशान लगाये अ.जा.....अ.ज.जा.....पि.वर्ग.....सामान्य.....
7. संस्थान/कारखाना का पूरा नाम : .....
8. संस्थान/कारखाना का पूरा पता : .....
9. संस्थान/कारखाने का अभिदाय कोड क्र. ....
10. संस्थान का ई मेल आई.डी. ....
11. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति .....हमारे संस्थान.....  
.....में.....पद पर कार्यरत है! इनकी कुल मासिक आय  
.....ई.पी.एफ.क्रमांक.....तथा ई.एस.आई.क्रमांक.....है।
12. आवेदक छात्र/छात्रा का बैंक खाता क्र..... बैंक का नाम.....  
बैंक का IFS कोड.....आधार पत्र(U.I.D.)क्र.....

नियोजक का नाम  
हस्ताक्षर, पद व मुद्रा

शैक्षणिक छात्रवृत्ति हेतु ये कॉलम भरा जाये  
(कक्षा 5वी एवं ऊपर की कक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए)

13. वर्तमान कक्षा (जिसमें छात्र अध्ययनरत है) : .....
  14. उत्तीर्ण कक्षा का विवरण : कक्षा.....पूर्णांक.....प्राप्तांक.....प्रतिशत.....
  15. शैक्षणिक संस्थान का नाम व पूरा पता : .....
- (उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची की स्वसत्यापित फोटो कापी, संलग्न करें)

## शिक्षा प्रोत्साहन योजना हेतु ये कॉलम भरे जाये

(कक्षा 10वी, 12वी, स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.ई., एम.बी.बी.एस. (अंतिम वर्ष) में 60% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं के लिए)

- 16 वर्तमान कक्षा : .....
- 17 उत्तीर्ण कक्षा का विवरण : कक्षा..... पूर्णांक..... प्राप्तांक..... प्रतिशत.....
- 18 शैक्षणिक संस्थान का नाम व पूरा पता : .....
- (उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची की सत्यापित फोटो कापी, संलग्न करें)

### घोषणा-पत्र

मैं श्री/कुमारी..... शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे पिता/माता श्री/श्रीमति ..... कारखाना/संस्थान ..... में ..... पद पर कार्यरत है तथा इनकी मासिक आय..... है। मैं वर्तमान में कक्षा..... में विद्यालय/महाविद्यालय ..... में अध्ययनरत हूँ। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाई जाती है तो आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार मंडल का होगा।

हस्ताक्षर  
छात्र/छात्रा

हस्ताक्षर  
माता/पिता

प्रधान अध्यापक/प्राचार्य  
के हस्ताक्षर व मुद्रा

### // नियमावली //

- 1 म.प्र.श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियाँ शैक्षणिक छात्रवृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन योजना दोनों योजनाओं हेतु आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते छात्र/छात्रा को विगत कक्षा में 60% या अधिक अंक प्राप्त हुए हो। एक श्रमिक के दो ही बच्चों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- 2 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में (फोटोकापी भी) मान्य होगी। आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट भरना अनिवार्य है। अपूर्ण, गलत एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
- 3 शैक्षणिक छात्रवृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए एक ही आवेदन पत्र भरा जायेगा पुराने प्रारूप पर आवेदन मान्य नहीं होंगे।
- 4 शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में कक्षा-10वी, 12वी एवं ऊपर की कक्षाओं में (अंतिम वर्ष में) 60% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राएं आवेदन कर सकते हैं।
- 5 आवेदन पत्र स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय/कल्याण केन्द्रों से प्राप्त कर सकते हैं एवं आवेदन पत्र भरकर वही जमा करें।
- 6 योजना में किसी भी प्रकार की (चयन/निरस्तीकरण की) जानकारी संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय/कल्याण केन्द्र से प्राप्त की जा सकेगी।
- 7 आवेदन पत्र के साथ विगत उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची, छात्र/छात्रा का नवीनतम फोटो, बैंक खाता क्रमांक एवं आईएफएस कोड सहित बैंक पासबुक की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 8 आवेदन में चाहे गये अभिलेखों की छायाप्रति के साथ आवेदन पर नियोजक/प्रबंधक तथा, विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर, पदमुद्रा, छात्र/छात्रा में माता पिता तथा स्वयं छात्र के हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। इसी प्रकार आवेदक का आधार नम्बर तथा आधार पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 9 योजना में चयनित छात्र-छात्रा को वितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति राशि सीधे आवेदक छात्र/छात्रा के बैंक खाते में स्वीकृति उपरान्त क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी।
- 10 एक योजना में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त किये जायेंगे।
- 11 अपूर्ण तथा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 12 योजना से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कल्याण आयुक्त का होगा।

कल्याण आयुक्त  
म.प्र.श्रम कल्याण मंडल, भोपाल